रिपोर्टेबल

**भारत का सर्वोच्च्च न्यायालय**

**आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार**

आपराधिक अपील संख्या 140/2007

राम लक्ष्मण .....अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य .....उत्तरदाता

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 169/2016

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 5504/2012 से उत्पन्न)

संजय उर्फ संजू .....अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य .....उत्तरदाता

*दंड संहिता, 1860: धाराएँ 302/149 और 148 - निचली अदालत द्वारा सभी आरोपियों को दोषी ठहराया जाना - उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्तों को बरी करते समय अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार*

*रखा - अपील पर, अभिनिर्णीत: यदि कोई गवाह अविश्वसनीय और गैर-भरोसेमंद पाया जाता है तो कुछ सह-अभियुक्तों को लाभ देने के लिए और दूसरे की दोषसिद्धि बरकरार रखने के लिए उसकी साक्ष्य को विभाजित नहीं किया जा सकता जबकि सभी प्रकार से वह एक ही स्तर पर खड़ा है और समता का हकदार है - मौजूदा मामले में एकमात्र गवाह पीडब्लू-10 की साक्ष्य अत्यधिक अविश्वसनीय थी और इसलिए उसके द्वारा बताई गई विशिष्ट चोटों का कोई महत्व नहीं है- अपीलार्थी न्यायसंगत रूप से उन सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा कर सकते हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है- अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।*

**निर्णय**

**शिवकीर्ति सिंह, न्यायाधीश**

1. दोनों अपीलें आपराधिक अपील सं 779/ 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की एक खण्ड पीठ द्वारा पारित एक ही निर्णय और आदेश दिनांकित 3.1.2006 से उत्पन्न होती हैं। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता राम लक्ष्मण और संजय उर्फ संजू को भा.दं.सं. सी. की धारा 302/149 और धारा 148 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि को कायम रखा है। अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और व्यतिक्रम अनुबंध के साथ

एक लाख रुपये का जुर्माना और धारा 148 के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। दोनों मूल सजाएँ साथ साथ चलेंगी। इसी फैसले के द्वारा उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त राम भरोसे, शेर सिंह, चतुर्भुज, राम प्रसाद और मांगी लाल की अपील को स्वीकार कर लिया है और उन्हें उन्हीं अपराधों के लिए बरी कर दिया है।

2. अपने सरल निवेदन के समर्थन में अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने हमें अभिलेख पर सभी प्रासंगिक तत्वों और विशेष रूप से अपील के तहत निर्णय और आदेश से अवगत करवा कर यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थियों के खिलाफ मामला और साक्ष्य वही है जो अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ है जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में अपीलार्थी केवल बरी किए गए सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा करते हैं।

3. अभियोजन पक्ष के मामले की शुरुआत मृतक हनुमान के भाई, सूचना देने वाला गणेश (पीडब्लू-10) द्वारा रफीक अहमद, पुलिस थाना कैथून के सहायक उप-निरीक्षक (पीडब्लू-9) को एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) प्रस्तुत करने से हुई है । संक्षेप में मामला यह है कि उक्त दिन लगभग सुबह 7.30 बजे सूचना देने वाला नदी के किनारे स्नान कर रहा था और उसका छोटा भाई हनुमान शौच के लिए झाड़ियों की ओर बढ़ा। नहाने के बाद, सूचना देने वाले ने वापस आते समय अपीलकर्ताओं संजू और राम

लक्ष्मण को नदी के किनारे क्रमशः गुप्ती और तलवार से लैस देखा। दोनों अपीलार्थी उन झाड़ियों की ओर बढ़े जहाँ हनुमान गया था  और उनके पीछे सूचना देने वाला गया, जिसने राम कल्याण सहित अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (सभी बरी) को हनुमान पर तलवार, भाला, गंडासी और गुप्ती से वार करते देखा। अन्य हमलावरों के साथ अपीलकर्ता संजू और राम लक्ष्मण भी शामिल हो गए, जिन्होंने भी हनुमान के चोटें पहुंचाई। राम कल्याण (अलग से मुकदमा चलाया गया और बरी कर दिया गया), चतुर्भुज और शेरू ने हनुमान के सिर पर तलवार से वार किया। राम प्रसाद ने भाले से चोट मारी। हनुमान के गिरने के बाद राम लक्ष्मण ने हनुमान की गर्दन और कंधे के बाईं ओर तलवार से वार किया, जबकि संजू ने गुप्ती से पेट पर वार किया। राम भरोसे और मांगी लाल ने दाहिनी हथेली पर गंडासी से प्रहार किए। सूचना देने वाला दूर से मदद के लिए चिल्लाया जिस पर पीडब्लू-2 छीतर और पीडब्लू-11 सुरेश दौड़ते हुए आए। उन्हें देख हमलावर भाग निकले। हनुमान की मौके पर ही मौत हो गई थी। उपरोक्त गवाहों की मदद से सूचना देने वाला शव को अस्पताल ले आया और एक मजमून रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर भा.दं.सं. सी. की धारा 147,148,149 और 302 के तहत मामले की जांच की गई। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन पर मुकदमा चला जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से बारह गवाहों से पूछताछ की गई। अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने का दावा किया और

बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह से पूछताछ की गई। अपीलार्थियों और पाँच अन्य पर एक साथ मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। सह-अभियुक्त राम कल्याण, जिसने कथित रूप से सिर पर तलवार से वार किया था, पर बाद में मुकदमा संख्या 42/2000 चलाया गया और 16.8.2002 के निर्णय से बरी कर दिया गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सूचना देने वाला पीडब्लू-10 गणेश पक्षद्रोही हो गया और घटना के समय राम कल्याण की उपस्थिति से इनकार कर दिया।

**4.** डॉक्टर (पीडब्लू-7) की चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतक हनुमान को ग्यारह चोटें आई थीं जिनमें चोट संख्या 9, 6 "x 5"x 2" कटा हुआ घाव दाहिने तरफ सामने, और पार्श्विक क्षेत्र पर, हड्डी को तोड़ते हुए और मस्तिष्क पदार्थ को बुरी तरह से काटते हुए, जो बाहर आ गया। डॉक्टर की राय में मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा था।

5. उच्च न्यायालय ने देखा है कि कुल मिलाकर तीन कथित चश्मदीद गवाह थे, गणेश (पीडब्लू-10), छितर लाल (पीडब्लू-2) और सुरेश कुमार (पीडब्लू-11)।पीडब्लू-2 और पीडब्लू-11 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। केवल सूचना देने वाले गणेश की गवाही पर अपीलार्थियों और सह-अभियुक्तों को निचली

निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। गणेश के साक्ष्य की इस आधार पर कड़ी आलोचना की गई कि वह एक संयोग गवाह प्रतीत होता है जिसकी उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी और उसके अपने भाई सुरेश ने भी उसके बयान का समर्थन नहीं किया था। यह भी बताया गया कि गणेश ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वह जेल में अपीलार्थियों से मिलने गया था और उसने पैसे के बदले अपना बयान बदलने की पेशकश की थी। बाद के सत्र वाद संख्या 42/2000 जिसमें सह-अभियुक्त राम कल्याण को बरी कर दिया गया था में भी गणेश के आचरण को उच्च न्यायालय के समक्ष उजागर किया गया था और उस मामले में फैसले की एक प्रमाणित प्रति को अवलोकन के लिए रखा गया था।

6. विचित्र रूप से, उच्च न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों के लिए गणेश पर भरोसा नहीं किया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अपीलार्थियों के संबंध में उसकी गवाही को यह समझाते हुए स्वीकार कर लिया कि "एक में गलत, सर्वव्यापी में गलत" का सिद्धांत, उग्र अहिर बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1965 एस.सी. 277) के मामले के अनुसार, बहुत पहले से अस्वीकृत है।

7. हमारे सुविचारित विचार में खण्ड पीठ ने उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करने में गंभीर त्रुटि की है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भारत में

आपराधिक कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि केवल किसी गवाह के बयान में कुछ झूठ का पता लगाने के कारण, जो अन्यथा सुसंगत और विश्वसनीय है, उसकी पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह समान रूप से स्थापित कानून है कि यदि कोई गवाह अविश्वसनीय और गैर-भरोसेमंद पाया जाता है तो उसकी साक्ष्य को कुछ सह-अभियुक्तों को लाभ देने के लिए और कुछ की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि सभी मामलों में वह समान आधार पर खड़ा है और समानता का हकदार है।

8. अभिलेख के तत्वों पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हैं, जिसके तहत उसने अन्य सह-अभियुक्तों को दोषमुक्ति देते हुए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखा है। फैसले के अनुच्छेद 13 में इस तरह के विभेदन का एकमात्र औचित्य यह है कि "राम लक्ष्मण और संजू के द्वारा लगी चोटों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होती है। मामले के तथ्यों पर यह तर्क सही नहीं हो सकता है क्योंकि तदनुरूपी निष्कर्ष के  साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा कारित कथित चोटों की पुष्टि नहीं करती है। अन्यथा भी, हम पाते हैं कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गणेश का साक्ष्य अत्यधिक अविश्वसनीय है और इसलिए उसके द्वारा बताई गई विशिष्ट चोटों का कोई महत्व नहीं है।

अपीलार्थी न्यायसंगत रूप से उन सह-अभियुक्तों के साथ समानता का दावा कर सकते हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है। उस आधार पर समानता और दोषमुक्ति के दावे का समर्थन करने के लिए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994 एस. सी. सी. (आपराधिक ) 46)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा किया है।

9. परिणाम में, अपीलों को अनुमति दी जाती है। अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को अपीलार्थियों तक रद्द किया जाता है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है। यदि वे जमानत पर हैं तो वे अपने जमानत बंध-पत्र की देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे। यदि वे हिरासत में हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा बशर्ते किसी अन्य मामले के संबंध में उन्हें कानून द्वारा हिरासत में लेने की आवश्यकता न हो।

**न्यायाधिपति [ दीपक मिश्रा ]**

**न्यायाधिपति [शिवकीर्ति सिंह]**

**नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016**

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।